न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
60/2018/प्रा.पत्र/2018	13.11.2018	16.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पदम चन्द धर्मचन्द खुरथल रोड डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी रूपविहार कॉलोनी खुरथल रोड डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स पदम चन्द धर्मचन्द खुरथल रोड डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
3–श्रीमति पुष्पा शर्मा पत्नि श्री कैलाश शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स राजस्थान ट्रैडिग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं0 09 सुभाष कालोनी मालपुरा जिला टोंक राज0
4– मैसर्स राजस्थान ट्रैडिग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री विजेन्द्र गोयल,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 16.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.08.2018 को समय 12.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पदम चन्द धर्मचन्द खुरथल रोड डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पदम चन्द धर्मचन्द खुरथल रोड डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी रूपविहार कॉलोनी खुरथल रोड डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना मिला।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक**(Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर श्री धर्मचन्द जैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:10:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता धर्मचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 250–250 ग्राम के 10 पॉलीपैक सील्ड पैक दुकान की रैक मे **चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक**(Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) रखे हुये मे से 250–250 ग्राम 8 नग पॉलीपैक कुल 2.00 किलोग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री धर्मचन्द जैन को रू0 480/–अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक**(Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) 250–250 ग्राम के आठ पैकिट को अलग–अलग चार भागो को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे प्रत्येक डिब्बो मे दो–दो पैकेट अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1917 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1917 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. रंगलाल माली के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री धर्मचन्द जैन ने बतोर वांरटी **मैसर्स चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक** का बिल संख्यॉ/इनवोइस संख्या 1465 दिनांक 17.08.2018 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2018/2367 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/414/एक्ट/2018/420 दिनांक 04.09.2018 अनुसार धर्मचन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक**(Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:10:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

3(1) (xf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक**(Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन कर बहस की। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक**(Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक**(Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पदम चन्द धर्मचन्द खुरथल रोड डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी रूपविहार कॉलोनी खुरथल रोड डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्रीमति पुष्पा शर्मा पत्नि श्री कैलाश शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स राजस्थान ट्रैडिग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं0 09 सुभाष कालोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:10:45 IST
Reason: SelfAttested

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक